राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः–एफ–7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2020–21/1342 दिनांकः–17.12.2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः– **शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिये स्नातकोत्तर–पूर्वार्द्ध के लिये ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया।**

संदर्भः– आयुक्तालय के आदेश क्रमांक 1302 दिनांक 27.11.2020।

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिये स्नातकोत्तर–पूर्वार्द्ध के लिये ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 17.12.2020 से 24.12.2020 तक की अभिवृद्धि की जाती है।

शैक्षणिक सत्र 2020–21

ऑन लाईन प्रवेश कार्यक्रम – स्नातकोत्तर – पूर्वार्द्ध

क0सं0	विवरण	वार व तिथि
1.	**आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि**	**गुरूवार– 24 दिसम्बर 2020**
2.	महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	सोमवार–28 दिसम्बर 2020
3.	(अ)अन्तरिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	बुधवार– 30 दिसम्बर 2020
	(ब)अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की अंतिम तिथि	बुधवार – 06 जनवरी 2021
	(स)अभ्यर्थियों द्वारा ई–मित्र पर शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	गुरूवार– 07 जनवरी 2021
4.	**प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन व शिक्षण कार्य प्रारम्भ**	**शुक्रवार– 08 जनवरी 2021**

श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये पुनः ऑन लाईन प्रवेश कार्यक्रम

क0सं0	विवरण	वार व तिथि
1	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	गुरूवार– 07 जनवरी 2021
2	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	मंगलवार–12 जनवरी 2021
3	नवीन प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑन लाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	बुधवार– 13 जनवरी 2021
4	(अ)आवश्यकतानुसार रिक्त स्थानों के लिये अंतरिम प्रवेश/प्रतिक्षा सूची का प्रकाशन	गुरूवार– 14 जनवरी 2021
	(ब)अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने एवं ई–मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि	मंगलवार–19 जनवरी 2021
5	नव प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	बुधवार– 20 जनवरी 2021

कोविड़–19 के मद्देनजर राज्य एवं केन्द्र सरकार की एडवाईजरी के अनुसार अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच महाविद्यालय द्वारा मास्क, सेनेटाईजर एवं भौतिक दूरी अपनाते हुये सुनिश्चित की जावे ।

(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

क्रमांकः–एफ–7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2020–21/ दिनांकः–

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है ।

17.12.20

(जी0के0 सोनी)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)